

# कार्यालय नगर निगम, मेरठ

पत्रांक

दिनांक 23.08.2009

श्री एन०के० गुप्ता,  
ए०बी०एम० कन्सल्टेंट  
तल अंसल सत्यम बिल्डिंग  
राज नगर, गाजियाबाद।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1689/नौ-8-09-5नियम/07टीसी दिनांक 21 अगस्त 2009 के अन्तर्गत मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.12.2006 के अनुपालन में पशुवधशाला के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण तथा अन्तरिम व्यवस्था के रूप में स्थानीय जनता को मांस की आपूर्ति किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि:-

- 1- कृपया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र तैयार कराने का कष्ट करें।
- 2- कृपया शासन के निर्देशानुसार ग्राम घोसीपुर, मेरठ में अधिग्रहित भूमि पर मांस की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु टेंडर प्रस्ताव तैयार करने का कष्ट करें।
- 3- कृपया इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विधिक राय भी देने का कष्ट करें।

भवदीय

८३

नगर आयुक्त  
नगर निगम, मेरठ।